कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)

परियोजना शाखा मुख्यालय

क्रमांक परि./810/ भिलाई, दिनांक 26/05/2023

:: विज्ञापन ::

कार्यालय अवर सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग का पत्र क्र. 2940/1480/2023/18 दिनांक 02.05.2023 के अनुपालन में न.पा.नि. भिलाई जिला–दुर्ग में अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज की स्थापना किया जाना है। उक्त इण्डस्ट्रीज पार्क में युवाओं के स्व रोजगार/स्टॉर्टअप गतिविधियों के लिए प्रियदर्शनी परिसर पूर्व भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन के पास रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क विकसीत किया जा रहा है। जहां पर 5000 Sqft के 10 भूखंड एवं 3000 Sqft आकार के 7 भूखंड है। उक्त भूखंडों में छोटे लघु कुटीर उद्योग एवं सेवा सर्विस उद्योग स्थापना, संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक उद्यमी दिनांक 16/06/2023 सांय 5:00 तक आवेदन पत्र पंजीयन डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। निर्धारित निधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियम एवं शर्तेः–

1. उद्यमी जिले/शहर की निवासी हो।
2. लगाए जाने वाला उद्यम कुटीर, लघु मध्यम उद्योग संचालन से ही संबंधित होना चाहिए। मादक, नशीली पदार्थो का उत्पादन, भण्डारण पूर्णतः वर्जित होगा।
3. इच्छुक उद्यमी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे
   - आवेदन न.नि.भिलाई परियोजना शाखा में दिनांक .... तक जमा कर सकेंगे। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न कर बंद लिफाफे में नाम, पता, मोबाईल नं. अंकित कर उद्यम का प्रकार – .... लिखकर कार्यपालन अभियंता परियोजना शाखा न.नि. भिलाई के नाम से जमा करेंगे।
4. चयनित उद्यमों के उद्यम shed भवन नगर निगम भिलाई के माध्यम से निर्मित कर प्रदान किये जायेंगे जिनमे यूजर चार्ज आधारित कार्य स्थल (वर्क स्पेस) प्रदान किया जावेगा।
5. यूजर चार्ज आधारित वर्क स्पेस प्राथमिक रूप से निगम द्वारा तैयार कर प्रदान किया जावेगा। आगामी वर्क स्पेस का संधारण रंगरोगन, विद्युत देयक एवं विद्युत मीटर संयोजन से संबंधित समस्त कार्य हितग्राही की होगी।
6. गौठानों एवं संबंधित क्षेत्रों में स्थानित आवश्यकता और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विविध उद्यम स्थापित किए जाने है।
7. वर्क स्पेस उपलब्धता दिनांक से 01 माह के अंदर ईकाई स्थापना का कार्य किया जायेगा, तथा अधिकतम 3 माह में स्थापना कार्य पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में ईकाई स्थापना न करने पर स्थल उपलब्धता निरस्त कर अन्य इच्छुक आवेदकों को वरियता सूची के आधार पर वर्क स्पेस उपलब्ध कराई जायेगी।
8. इच्छुक उद्यमिय राशि रू. 3000.00 का डिमांड ड्रफ आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करेंगे।

9. वर्क स्पेस में उद्यम संचालन अवधि 5 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषपद्र रूप से संचालित होने पर 3 वर्षो के लिए अतिरिक्त अवधि बढ़ायी जावेगी
10. स्थल को केवल उद्यम संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से प्रदान किया जायेगा। स्थल का मालिकाना हक प्रदान नही किया जयेगा।

चयन प्रक्रियाः–

- प्राप्त आवेदनों के मुल्यांकन के आधार पर वरियता सूची तैयार की जायेगी। जिसके आधार पर उद्यम निर्माण हेतु स्थल आबंटित किये जावेंगे।
- इच्छुक उद्यमियों का अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (अधिकतम पूंजी के लिए 20 अंक)

पूंजी वर्गीकरण :–

लागत (लाख)	अंक
0–5	05 अंक
5–10	10 अंक
10–20	15 अंक
20 लाख से अधिक	20 अंक

- इच्छुक उद्यमितयों को अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (संभावित कर्मचारी नियुक्त होने पर 30 अंक)

कर्मचारी वर्गीकरण :–

कर्मचारी संख्या	अंक
0–10	10 अंक
11–20	20 अंक
20 से अधिक	30 अंक

- कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन के आधार पर 30 अंक (वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी पारिश्रमिक से कम न हो)
- प्रस्तुतीकरण पर 10 अंक एवं
- नया Startup उद्ययम पंजीकृत होने पर 10 अंक इस तरह **कुल 100 अंकों** पर मुल्यांकन किया जावेगा।
- उद्यम स्थापित करने के इच्छुक स्थानिय युवाओं, उद्यमियों, स्व सहायता समुहों को गुण दोष के आधार पर निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा चिन्हाकिंत किया जावेगा।

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप।

Ryas

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

स्व प्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

1. आवेदित उद्यम का प्रकार ....

2. (क) पूरा नाम/एजेंसी का नाम एवं पंजीयन क्र..
   (ख) अभिभावक/एजेंसी अध्यक्ष का नाम ....
   (ग) वर्तमान डाक का पता ....
   (जिस पर पत्र व्यव्हार किया जावेगा)...
   (घ)स्थायी डाक का पता...
   (ड) मोब.नं. ....

3. New Startup उद्यम का पंजीयन कमांक ....

4. आधार नं. ....

5. डी.डी. का कमांक.............................राशि..............................बैंक का नाम शाखा सहित ....
....

6. इच्छुक उद्यम हेतु लगाए जाने वाली अधिकतम पंजी...
   (आवश्यक दस्तावेज विवरण कोटेशन रूप में संलग्न कर सकते है)

7. इच्छुक उद्यम हेतु अधिकतम कर्मचारी नियुक्ति संख्या ....
   (आवश्यक दस्तावेज विवरण कोटेशन रूप में संलग्न कर सकते है)

8. कर्मचारी को दिए जाने वाले मासिक वेतन
(वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी पारिश्रमिक से कम ना हो) ....

9. अन्य दस्तावेजों को संलग्न करे –
   - ☐ शैक्षणिक योग्याता
   - ☐ स्थायी निवासी
   - ☐ राशन कार्ड (अनिवार्य नही)
   - ☐ आधार कार्ड
   - ☐ प्रोजेक्ट रिपोर्ट

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापन में जारी पात्रता की शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है। जहॉ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियॉ सत्य और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा। जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

स्थल ....
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....